International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232, Impact Factor: RJIF 5.22
www.hindijournal.com
Volume 2; Issue 3; May 2016; Page No. 40-41

आरक्षण से परे स्त्री का सत्य

डॉ॰ रेनू आनन्द
पी॰ एचडी॰, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, भारत।

सारांष
स्त्री एवं पुरूष समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। पुरूष जहां सामाजिक रूप से ज़्यादा सशक्त है वहीं स्त्री आज भी अपनी स्मिता एवं पहचान हेतु संघर्षरत है। इस लेख में स्त्री के उन्हीं बिन्दुओं पर चर्चा की गई है कि कैसे स्त्री अपनी सामाजिक स्थिति, आरक्षण के साथ एवं आरक्षण के बिना मज़बूत बना सकती है। इस लेख में स्त्री के विभिन्न पहलुओं पर व्यवहारिक ढंग से विचार व्यक्त किये गये हैं। इस आलेख के अंत में स्त्री के भविष्य को कैसे सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा सकता है, पर चर्चा की गई है।

मुख्य षब्द : स्त्री शिक्षा, असमानता, सामाजिक स्थिति।

प्रस्तावना

परिकल्पनाओं एवं वास्तविकता की बीच उलझी हुई स्त्री अपने संघर्ष और आत्मविश्वास के कारण अपनी स्थिति को मजबूत बनाने हेतु प्रयासरत है। कभी सिर्फ बेटी, बहू, मां, या पत्नी के रूप में जानी जाने वाली स्त्री वास्तविकताओं रूबरू होते हुए स्वयं को पहचान देती जा रही है। जहां अन्य शोषित एवं बहिष्कृत समाज आरक्षण के बलबूते अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है वही स्त्री अपने मेहनत एवं प्रतिस्पर्धात्मक सोच के कारण सामाजिक रूप से दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। ये सत्य है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था विर्किण मानसिकताओं एवं सोच के कारण कई दृश्यों में अमानवीय व्यवहार करती रही है जैसे अपृश्यता, ऊंच, नीच, जाति प्रथा, स्त्री के प्रति दुर्भावना हमें कभी–कभी शर्मिंदा कर देती है। जिस तरह से आप किसी चित्र को सुंदर बनाने हेतु अथक प्रयास करते हैं परंतु आप की एक गलती उस चित्र को कुरूप बना सकती है ठीक उसी तरह से हमारी भारतीय सभ्यता में अनेक अच्छाइयां होने के बावजूद कुछ उपरोक्त कुरूतियों के कारण विभत्स दिखाई देती है। समाज में कई ऐसे वर्ग है यदि उन्हें आरक्षण न दिया गया होता तो वो शायद आज भी सामाजिक रूप से परिष्कृत रहते। परंतु ठीक इसके उलट जब हम स्त्री के विकास को देखते हैं तो दो बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

1. पिछले सत्तर वर्षों में स्त्री का चहुमुखी विकास
2. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्त्री का उन्नयन

जब उपरोक्त श्रेणियों में स्त्री के विकास एवं उन्नयन का विश्लेषण करते है तो कई अन्य सत्य उजागर होते है ये सत्य यक्ष प्रश्न के रूप में प्रेरित करते है कि हमें इन प्रश्नों का सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब हम स्त्री के विकास एक उन्नयन का अध्ययन करते है तो निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा आवश्यक होती है।

1. क्या वर्ण व्यवस्था के सभी वर्गों में स्त्री का समतुल्य विकास हुआ है?
2. क्या वर्ण व्यवस्था के सभी वर्णों में स्त्री के सामाजिक स्थिति में समतुल्य विकास हुआ है?
3. क्या वर्ण व्यवस्था के सभी वर्गों में स्त्री को आर्थिक रूप से समतुल्य अधिकार प्राप्त है?
4. क्या वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत सभी वर्गों की स्त्रियों को समतुल्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है?
5. क्या वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों की स्त्रियों को समतुल्य कानूनी संरक्षण एवं न्याय प्राप्त है?
6. क्या वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों की स्त्रियों को अपने

भविष्य निर्माण हेतु स्वयं निर्णय लेने हेतु अधिकार प्राप्त है?

उपरोक्त सभी प्रश्नों पर जब हम क्रमबद्ध ढंग से प्रकाश डालते हैं तो निम्नलिखित सत्य से परिचित होते हैं।

1. पहला सत्य जो पुरूष समाज के व्यवहार एवं क्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है कि वो आर्थिक रूप से सशक्त स्त्रियों के प्रति ज़्यादा सम्मान का दृष्टिकोण रखते हैं वहीं दूसरों पर निर्भर स्त्रियों के प्रति उनका व्यवहार बदल जाता है। ये सिर्फ किसी विशिष्ट वर्ण व्यवस्था में नही है बल्कि समान रूप से सभी वर्णों के पुरूषों में देखी जा सकती है।
2. जब हम वर्ण व्यवस्था के सभी वर्णों में स्त्री के सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो पाते है कि दलित एवं पिछड़े वर्ग की स्त्रियां सामाजिक रूप से ज्यादा सशक्त होती हैं वहीं उच्च वर्णों में स्त्री को घर के बाहर कदम रखने की भी पाबंदी होती है और उन्हें कहा जाता है कि घर में जब आपके उपभोग एवं विलासिता की सभी वस्तुएं उपलब्ध है तो आप बाहर से सम्बन्ध ज़्यादा रखने की कोशिश न किया करें। शायद यहां उच्च वर्ग के पुरूषों को ये आभास नहीं है कि स्त्री भी एक इंसान है जो सामाजिक सम्बन्धों एवं बंधनों को समझना, महसूस करना, एवं निभाना चाहती है। उच्च वर्ग के पुरूष इसे परिवार की इज़्जत से जोड़ते है कि यदि स्त्री घर के बाहर काम करेगी या लोगों से मिलेगी जुलेगी तो परिवार की इज़्ज़त धूमिल होगी।
3. जब हम वर्ण व्यवस्था के सभी वर्गों में स्त्री के विकास का अवलोकन करते हैं तो देखते है कि स्त्री समान रूप से अभी भी पूरूषों से काफी पीछे है। चाहे वह उच्च वर्ग की हो या निम्न वर्ग की स्त्री अभी भी भंवर में फंसी हुई मछली की तरह अपने बचने एवं निकलने हेतु प्रयासरत है। कहीं–कहीं स्त्री भंवर के चक्रव्यूह में फंस के काल में समा जाती है। जैसा कि समाचार पत्रों में स्त्री दहेज हत्या, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री बलात्कार, वैश्यावृत्ति आदि के रूप में परिलक्षित होता है। जहां कहीं स्त्री भंवर से लड़ के बच जाती है, वह अन्य स्त्रियों के लिए आदर्श बन जाती है। जब हम गहराई से आदर्श बनने की प्रक्रिया का अध्ययन करते है तो पता चलता है कि स्त्री और पुरूष के बीच कितना अंतर है जहां अभी भी नौकरियों में 95 प्रतिशत् पुरूष काम करते हैं वहीं सिर्फ 5

प्रतिशत् ही स्त्रियां है और ये 5 प्रतिशत् स्त्रियां ही 95 प्रतिशत् स्त्रियों हेतु आदर्श है वहीं 95 प्रतिशत् क्या 5 प्रतिशत् पुरूषों हेतु आदर्श हो सकते हैं शायद ये हास्यस्पद हो सकता है परंतु ये सत्य है।

4. जब हम वर्ण व्यवस्था में स्त्रियों की शिक्षा का विश्लेषण करते हैं तो विगत वर्षों में ये पाते हैं कि स्त्रियां शिक्षा के क्षेत्र में पुरूषों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल रही है। चाहे वह मेडिकल में हों, इंजीनियरिंग शिक्षा, या प्रशासनिक क्षेत्र हो, स्त्री का स्तर बढ़ा है। लेकिन जब हम आनुपातिक ढंग से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की स्त्रियों में तुलनात्मक अध्ययन करते है तो पाते हैं कि उच्च वर्णों की स्त्रियां निम्न वर्ग की स्त्रियों की तुलना में प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा तक जाती है एवं निम्न वर्ग की स्त्रियां प्राथमिक शिक्षा तक सिमट जाती हैं। यहां हमें निम्न वर्णों की स्त्रियों को प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ उच्च शिक्षा हेतु भी प्रेरित किये जाने की आवश्यकता है।
5. पांचवे बिन्दु जिसमें कानूनी संरक्षण एवं न्याय का प्रश्न उठाया गया है के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि उच्च वर्णों की स्त्रियां कानूनी संरक्षण एवं न्याय हेतु ज़्यादा शसक्त है क्योंकि उनके पास आर्थिक स्वावलंबन, शिक्षा, एवं संसाधन है न्याय भले ही सभी के लिए समान हो लेकिन उस कानूनी संरक्षण एवं न्याय को पाने हेतु एक कानूनी प्रक्रिया से जूझना पड़ता है जिससे दलित एवं पिछडे वर्ग की स्त्रियां ज़्यादा अवगत नहीं है इन कानूनी प्रक्रियाओंसे पिछड़ें वर्गों की स्त्रियों को परिचित कराने हेतु हमें गांव, मोहल्लों तक जाकर कानूनी साक्षरता हेतु सरकारी प्रयास किये जाने चाहिए।
6. अगले प्रश्न में हम स्त्रियों के भविष्य निर्माण एवं निर्णय लेने के अधिकारी की चर्चा करते है जिसमें उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से भले ही स्त्रियों के लिए अभी–भी पूर्ण रूप से कोई सामाजिक नियम नहीं है लेकिन अधिकारी (सरकारी स्तर पर) रूप से बहुत सारे कानून भारतीय संविधान में दिए गये हैं। जिससे कोई भी स्त्री अपने भविष्य निर्माण हेतु स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। ये कानूनी अधिकार बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इन कानूनों हेतु संविधान निर्माण के समय ही काफी प्रयास किया था। इस प्रश्न के उत्तर में ये कहा जा सकता है कि अधिकारों के लिए लड़ो बाकी चीज़ें स्वतः मिल जायेंगी।

उपरोक्त प्रश्नों एवं उनके अध्ययन से निष्कर्ष निकलता हे कि स्त्री कमज़ोर है, रूकी है, विवश है, लाचार है लेकिन उसके पंखों में अभी भी जान है, हौसलों में उड़ान है, सिर्फ सहारे की ज़रूरत है चाहे वो आरक्षण के रूप में हो या फिर समाजिक सम्मान के रूप में, स्त्री भी पंख फैलायेगी, उड़ेगी भी और अपनी मंज़िल तक जायेगी सिर्फ उसका सामाजिक बन्धन रूपी पिंजड़ा खोलने की ज़रूरत है।

आरक्षण एक स्त्री के आर्थिक रूप से सशक्त करने का माध्यम हो सकता है परन्तु यदि वह सामाजिक रूप से भी अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहती है तो उसे खुद को पुरूषों के समतुल्य अपनी सोच को विकसित करना होगा। स्त्री सिर्फ अपने भोलेपन एवं भावुकता के कारण पुरूष के हाथों की कठपुतली बन जाती है और पुरूष इसका भरपूर फायदा उठाते हुए उसकी आज़ादी को छीन लेता है। अन्त में ये कहा जा सकता है कि स्त्री का विकास उसके स्वयं के हाथों में है, उसे उठना होगा, जगना होगा, जानना होगा और उस विकास की राह पर दौडन होगा जहां वह एक मज़बूत अद्भूत एवं सशक्त के रूप में खुद को स्थापित कर सके।

अब इस लेख का अंत इन शब्दों के साथ ज्यादा उचित होगा।

पीपल के पत्तों जैसा मत वनों जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं।

बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनो जो पिस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियां, अपनी बात, 'भूमिका' से।
2. कृतिका, अंक–3, जनवरी–जुलाई 2009, पृष्ठ–45
3. आधी ज़मीन, विशेषांकः अक्टूबर–दिसम्बर 2001, औरतों का सशक्तिकरण क्यों? –डॉ. सुनन्दा बनर्जी, पृ0 सं.–22